

राजस्थान सरकार


निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1085)/2018/

दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक 1327 दिनांक 10.11.2015 द्वारा श्रीमती परमजीत कौर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) अधीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर को स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. के नियम-112 के तहत दिनांक 16.08.2017 से 17.04.2018 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है एवं दिनांक 18.04.2018 को 01 दिवस के राजपत्रित अवकाश उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है।


(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1085)/2018/1516

दिनांक:- 09/07/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, पी.बी.एम. एवं रामबद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर।
3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, मुक्ता प्रसाद डिस्पेंशनरी, बीकानेर।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर